

फोन : +91-0522-2242486
मोबाइल : 09415418566, 09335019355

फैक्स : +91-0522-2242486
e-mail : coldstorage@fcaoi.org

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ - 226004

414/सी.एस.ए.27/60/2014

दिनांक 8.11.2014

समस्त सदस्य कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

महोदय,

विषय: फूड सेफ्टी एक्ट के सम्बन्ध में।

कृपया ध्यान दे कि हमने अपनी पत्रिका में लिखा था कि फूड सेफ्टी एक्ट, जितना वह शीतगृह से सम्बन्धित है, उस की तारीख 4 फरवरी, 2015 कर दी गई है यानि इस तारीख तक शीतगृह फूड सेफ्टी एक्ट के अन्दर नहीं आते। अब एक नई जानकारी मिली है कि Food Safety and Standards (Amendment) Bill, 2014 जिसके अर्न्तगत सम्भवतः शीतगृहो को भी फूड सेफ्टी एक्ट में शामिल किया गया था को Cabinet द्वारा वापस ले लिया गया है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी सूचना हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में जैसे जैसे हमें और अधिक जानकारी मिलती जाएगी, हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सरकार इस बिल में सुधार कर के नया बिल लाने की चेष्टा कर रही है।

Withdrawal of the Food Safety and Standards (Amendment) Bill, 2014.

The Cabinet today at the meeting chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi gave its approval for withdrawing the Food Safety and Standards (Amendment) Bill, 2014 as introduced in the Rajya Sabha on 19.02.2014.

Food Safety and Standards (Amendment) Bill, 2014 needs to be further amended after taking into account the Judgements of the Supreme Court Lucknow Bench of the Allahabad High Court. And representations received by the Government and other recent developments. Based on further examination a fresh set of amendments will be finalized by the Ministry of Health and Family Welfare.

DS/NK/VK
(Release ID 111119)

सधन्यवाद,

कृते कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(महेंद्र स्वरूप)
अध्यक्ष